REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
email : rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-78/ 2977 . **Date:** 08-12-2020

Shri Alok Modi,
20/124, Kaweri Path,
Near K.L. Saini Stadium, Mansarovar,
Jaipur

Sub.:- Regarding Public Hearing for Environmental Clearance for Nayaki Granite & Massonry Stone Mine project, Reference number- 201810001727, ML no. 99/2018, Area-2.3258 Hectare, Production capacity- 200637 TPA(ROM), Village Nayaki, Tehsil Kekri, District Ajmer.

Ref.:- Office of District Collector & Magistrate, Ajmer letter no. 20892 dated 07/12/2020.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major **National Daily News Paper** (All editions) and one **Regional Daily News Paper** (Hindi-All editions) in any case on or before **19/12/2020**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Lasadiya, Tehsil Kekri, Distrct Ajmer at 11.00 AM on 19/01/2021** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,
sd/-
(Deepak Tanwar)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The Additional District Collector(LC), Ajmer in compliance to your letter no. 20652 dated 02/12/2020.
3. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Deepak Tanwar.
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ, जिला अजमेर

राप्रनिम/क्षैका किश/राज/पीयूबी–77/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **नायकी ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनन परियोजना, श्री आलोक मोदी, उत्पादन क्षमता–200637 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.){ ग्रेनाईट–160510 टी.पी.ए., मैसनरी स्टोन–30095 टी.पी.ए. एवं वेस्ट–10032}, क्षेत्रफल–2.3258 हेक्टेयर, रेफरेंस नम्बर 201810001727 एम.एल.संख्या–99/2018, खसरा संख्या–1283, 1284, 1285 एवं 1286/1456 ग्राम नायकी, तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **श्री आलोक मोदी, परियोजना प्रस्तावक** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
    1. जिला कलक्टर, अजमेर।
    2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
    3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
    4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
    5. कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, खान व भू–विज्ञान विभाग, सावर, जिला अजमेर।
    6. तहसील केकडी, जिला–अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2020/20892 दिनांक 07.12.2020 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 19/01/2021** को **प्रातः** 11.00 **बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

Deepak Tanwar.

(दीपक तॅवर)

क्षैत्रीय अधिकारी